FROM : FAX NO. :0141 2227699 11 Oct. 2011 11:54AM P1

Urgent

ADI (NPS) Pl get it perused and ensure that PD A/c are opened in all the Districts immediately.
11/X/2011

11.10.11

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(मार्गोपाय अनुभाग)

क्रमांक:प.8(4)वि.मा./2011 **जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर, 2011**

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- *नवीन अंशदायी पेंशन योजना के नाम से ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने के क्रम में।*

महोदय,

विषयान्तर्गत विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग के कक्ष में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान को ट्रस्टी बैंक में स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु आयोजित बैठक दिनांक 20.09.2011 में लिए गए निर्णय के अनुसार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को नवीन अंशदायी पेंशन योजना की राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के नाम से ब्याज रहित पी.डी. खाता निम्नांकित बजट मद में खोलने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

8443 – सिविल जमा
106 – व्यक्तिगत जमा

उक्त खाते का संचालन संबंधित जिला कोषाधिकारी के हस्ताक्षरों द्वारा किया जावेगा। कृपया ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलकर इस विभाग एवं संबंधितों को भी अवगत करावें।

भवदीय,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त, (राजस्व) विभाग, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक लेखाधिकारी

c:\2001\chouhan\f8(4).doc